प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आर्थिक सेवाओं से संबंधित राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलें वे है जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षो में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नही किये जा सकें। वर्ष 2013-14 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।